

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(इ)निप/(लिंक नंबर-12707\2013)/अलेसे-III/ 399

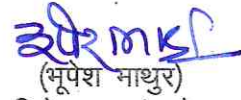
दिनांक:- 08-6-2022

श्री यशवंत सिंह गौड,
कनिष्ठ लेखाकार,
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
स्थानीय निधि अकेंक्षण जौधपुर।

विषय- इस निदेशालय के आदेश संख्या 73/2021-22 दिनांक 04.02.2022 की पालना नहीं
किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश संख्या 73/2021-22 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अकेंक्षण जौधपुर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरोही में किया गया था। तत्पश्चात् निदेशालय स्तर से जारी विभिन्न पत्रों एवं परिपत्रों की अनुपालना में भी आपके द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है जो कि आपके द्वारा निदेशालय के आदेशों की पूर्ण अवहेलना को दर्शाता है।

अतः आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस में नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करते हुए विलम्ब के कारणों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण सहित कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय में प्रस्तुत करे अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के कारण आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(इ)निप/(लिंक नंबर-12707\2013)/अलेसे-III/ 399

दिनांक:- 08-06-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अकेंक्षण जौधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरोही।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)